न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर

पीठासीन अधिकारी– विष्णु कुमार गोयल–1 आर.ए.एस.

वाद संख्या: 66/2019

1. नाथूराम पुत्र भूरा
2. नानूलाल पुत्र भूरा
3. गोपाल पुत्र भूरा

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

......वादीगण

ब नाम

1. पांचूराम पुत्र भोलाराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (दौराने वाद मृतक दिनांक 26.03.2008)

1/1 रामचन्द (फौत) पुत्र स्व0 पॉचूराम

1/1/1 श्रीमती सरोज देवी पत्नि स्व0 रामचन्द

1/1/2 शिवप्रसाद पुत्र स्व0 रामचन्द

1/1/3 आशीष पुत्र स्व0 रामचन्द आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सरोज देवी पत्नि स्व0 रामचन्द समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/1/4 सुगना पुत्री स्व0 रामचन्द आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सरोज देवी पत्नि स्व0 रामचन्द समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/1/5 श्रीमती अंजू प्रजापत पुत्री स्व0 रामचन्द पत्नी नवरन्त जाति कुम्हार निवासी–ग्राम सरसूलिया, तहसील फागी जिला जयपुर।

1/2 श्रवणलाल पुत्र स्व0 पांचूराम

1/3 लालचन्द पुत्र स्व0 पांचूराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/4 श्रीमती माया पुत्री स्व0 पांचूराम पत्नि श्री कजोड़ जाति कुम्हार निवासी रेनवाल मांझी तहसील फागी जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1/5 श्रीमती विमला पुत्री स्व0 पांचूराम धर्मपत्नि श्री कैलाश जाति कुम्हार निवासी–ग्राम रेनवाल मांझी तहसील फागी जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर जिला जयपुर जरिये सचिव।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 बाबत् घोषणा

उपस्थितः वादी – श्री मयंक कूलवाल एडवाकेट
प्रतिवादीगण – श्री रामजीलाल चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिंनाक 13.09.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि – वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा जिसके हाल परिवर्तित नंबर 141/346 रकबा 0.12 व खसरा नंबर 188 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी चतुर्थसीमाओं पर मिट्टी की मेड बनाकर सुरक्षित कर रखा था। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा व अन्य भूमि खाता संख्या 17 में अंकित के हकपूर्वाधिकारी गोरू पुत्र बल्देव का देहान्त होने पर उसके कानूनी वारिसान पुत्रगण वादीगण के पिता भूरा व रामपाल, गोविन्दा, नानूराम व बालूराम पुत्रान गोरू खातेदार एवं काबिज काश्तकार रहे। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा के हकपूर्वाधिकारी वादीगण के पिता भूरा, रामपाल, गोविन्दा, नानूराम व बालूराम ने सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया। विभाजन होने के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा वादीगण के पिता भूरा पुत्र गोरू के तन्हा हिस्से में आई जिस पर वह निरन्तर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के तन्हा खातेदार एवं काबिज काश्तकार की हैसियत से उपयोग–उपभोग करता रहा। वादग्रस्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी भूरा पुत्र गोरू का देहान्त दिनांक 30.09.2003 को होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण होने के कारण विरासत का नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 05.04.2004 को वादीगण के हक में तहरीक किया जाकर भू–राजस्व अभिलेखो में वादीगण को खातेदार–काश्तकार अंकित किया गया। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार, काश्तकार के रूप में काबिज रहकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 की चतुर्थ सीमाओं में उत्तर दिशा की ओर साबिक खसरा नंबर 25 दक्षिण दिशा की ओर 30, पूर्व दिशा की ओर 27 एवं पश्चिम दिशा की ओर ग्राम हरचन्दपुरा देवलिया की सीमा लगती हुई है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में भू प्रबन्ध विभाग ने सन् 1989 से 2009 तक की भू–प्रबन्ध कार्यवाही में भू–प्रबन्ध के कार कूनान ने गैर कानूनी तौर तरीके से मौके व कब्जे एवं पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के विपरित बिना आधार व अधिकार के साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा का परिवर्तित हाल खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 188 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर कायम किया जो कि साबिक रकबा से 0.05 हैक्टेयर कम है तथा हाल नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नंबर 141/346 की उत्तरी व पूर्वी सीमा को कमी की जाकर नवीन खसरा नंबर 141 व 187 में 0.05 हैक्टेयर भूमि क्रमश दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा की ओर शामिल कर बढा दिया ओर इस प्रकार खसरा नंबर 141 का रकबा 0.10 हैक्टेयर कायम कर प्रतिवादी संख्या एक व खसरा नंबर 187 रकबा 0.26 हैक्टेयर कामय कर प्रतिवादी संख्या दो के खाते में अंकित कर दिया गया जो पूर्णतः गलत है तथा वादीगण के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर भूमि उत्तरी एवम् पूर्वी सीमा की ओर कमी कर प्रतिवादी संख्या एक व दो की खातेदारी की भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नंबर 141 व 187 में 0.05 हैक्टेयर भूमि क्रमशः दक्षिणी व पश्चिमी की ओर अनाधिकृत बढाकर प्रतिवादी की खातेदारी में होने के कारण प्रतिवादी संख्या एक ने बदयान्ति पूर्वक वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 141 का सीमाज्ञान दिनांक 21.02.2006 को तहसीलदार सांगानेर से बिना वादीगण को नियमानुसार सूचना व सुनवाई का अवसर दिये वादीगण की गैर मौजूदगी में कराया। प्रतिवादी ने दिनांक 25.02.2006 को गैर कानूनी तौर तरीके व जबरन लाठी बल पर वादीगण की खातेदारी, कब्जे व काश्त की वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 व हाल खसरा नंबर 141/346 की उत्तरी सीमा पर लगी मिट्टी की मेड को तोडकर 0.05 हैक्टेयर लगभग भू–भाग में जबरन प्रवेश कर पट्टीयॉ गाड़ दी जिसका वादीगण ने विरोध किया और कहॉ कि यह पट्टीया आपने मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त [illegible] खसरा नंबर 141/346 की उत्तरी सीमा के भू–भाग मे [illegible] है [illegible] पट्टीयो को हटावे व उत्तरी सीमा पर लगी मिट्टी [illegible] मेड को पुनः लगावे [illegible] वादीगण के अनुरोध पर प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि "मैंने तो मेरी खातेदारी की [illegible] हाल खसरा नंबर 141 रकबा 0.10 हैक्टेयर की सीमा व मॉप जो कि तहसील के पटवारी ने दिनांक 21.02.2006 को बताई है, वहॉ पर ही मैने पट्टीया गाडी है जिसको मै तो नही हटाउंगा और ना ही तूम्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

हटाने दूंगा, जो तुम्हे मेरे विरुद्ध कार्यवाही करना है वो करो।" दिनांक 15.04.2007 को वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.05 हैक्टेयर लगभग उत्तरी सीमा का खसरा नंबर 141 में शामिल का गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या एक के नाम होने व प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा जबरिया गैर कानूनी तौर तरीके से दिनांक 25.02.2006 को पट्टीया गाड कर कब्जा करने की कार्यवाही के आधार पर विक्रय करने के लिये जयपुर के तीन–चार अपरिचित व्यक्तियों को लाकर मौका दिखाकर नॉप जोख कराने लगे तो इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने का विरोध किया। जिस पर प्रतिवादी नाराज हो गया और एलानिया धमकी दी कि मैं तो अविलम्ब वादग्रस्त भूमि का विक्रय करूंगा तथा निर्माण कार्य करूगा। वादीगण को वाद कारण दिनांक 25.02.2006 को प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा दिनांक 15.04.2007 को विक्रय करने एवं निर्माण कार्य करने की धमकी देने एवं भू–प्रबंध विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि साविक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा के परिवर्तित नवीन खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा नंबर 188 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे तथा साविक नक्शा ट्रेस में अंकित साविक खसरा नंबर 29 की सीमाओ के अनुसार हाल खसरा नंबर 141/346 व 188 की सीमाए घोषित की जावे तथा तदानुसार सम्पूर्ण भू–राजस्व अभिलेखो को दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.12 हैक्टेयर के उत्तरी सीमा की ओर स्थित भू–भाग पर से वास्तविक रूप से बेदखल किया जाकर वास्तविक रूप से वादीगण को कब्जा दिलवाया जावें। प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन इस्तदुआ दादरसी में किया गया है में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे और ना ही बेदखल करने की कोई कार्यवाही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि – भू प्रबन्ध की कार्यवाही सम्वत 1989 से 2009 में राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस बना देना बताते है। जबकि सम्वत 1989 से 2009 में उक्त

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आराजीयात संयुक्त कृषि भूमि थी जो वादी ने अपने पैरा नम्बर 2 में स्वयं ने माना है। इस कारण वादीगण का केवल अकेला हक अधिकार नहीं है। मिनप्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा था यानी 0.81 हैक्टेयर जिसके हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 0.52 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर बना दिये इस प्रकार मिनप्रतिवादीगण कि 0.07 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141 में से घटकर खसरा नम्बर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर बना दिये जिसका मिनप्रतिवादी का आज भी कब्जा काश्त है। मिनप्रतिवादी ने समस्त गवाहान व तहसील के स्टॉप के सामने खसरा नम्बर 141 का सीमाज्ञान करवाया था उस समय वादीगण भी उपस्थित थे परन्तु उन्होनें बदनियती से हस्ताक्षर नही किये जबकि मौके पर खसरा नम्बर 141 पत्थरगढ़ी की हुई है तथा चारो ओर तार बाउण्ड्री बनी हुई है। तथा खसरा नम्बर 141/346 पर मिन प्रतिवादीगण का कब्जा है परन्तु गलती से वादीगण के नाम से लगने के कारण इसके लिये काउन्टर क्लैम अलग से पेश किया जा रहा है। मिनप्रतिवादी का खसरा नम्बर 141 पर बुजुर्गान से कब्जा है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने मिनप्रतिवादी कि उक्त खसरा नम्बर में से 0.07 हैक्टेयर की भूमि काटकर वादीगण के नाम से लगाकर खसरा नम्बर 141/346 बना दिया गया जो गलत है। मिनप्रतिवादी को अपनी वैधः आराजीयात में उपयोग व उपभोग करने तथा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसको पाबंद करवाने का वादीगण का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण ने गलत रूप से दावा पेश किया है जो काबिले खारिज है। वादीगण मिनप्रतिवादीगण को किसी प्रकार से बैदखल करने का अधिकार नहीं रखते हैं। वादी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारो व राजस्व अभिलेखो व जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इत्यादी को दुरूस्त करवाने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं हैं। ना ही मिनप्रतिवादी को बैदखल करने का अधिकारी है। मिनप्रतिवादी अपनी वैधय अधिकार शुदा भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त करता हुआ आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में अंकित है कि –मिनप्रतिवादी के साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा यानि 0.81 हैक्टेयर भूमि है जिसके हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर बनाये इस प्रकार मिनप्रतिवादी कि 0.06 हैक्टे... सेटलमेंट कम कर के वादीगण के खाते में मिनप्र... के खसरा नम्बर 1... से काटकर खसरा नम्बर 141/346 बनाकर लगा दी गई परन्तु उक्त आराजी ... का मिनप्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है बदस्तुर चालू है। उक्त ... सेटलमेन्ट की गई जबकि सेटलमेन्ट विभाग को रिकार्ड ऑफ राइटस में फेर बदल करने का कोई कानून अधिकार नहीं है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिनप्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर जो वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई है उसको मिनप्रतिवादी अपने नाम से लगवाने का कानून अधिकार है। मिनप्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 02.06.2207 को उक्त अराजीयात गलती से वादीगण के नाम से लग गई थी उसको वापिस अपने नाम से लगवाने के लिए कहा तो वादीगण ने मना कर दिया इस कारण मिनप्रतिवादी को यह काउन्टर क्लैम पेश करना लाजिमी हुआ। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र व काउन्टर क्लैम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाते हुये मिनप्रतिवादी का काउन्टर क्लैम स्वीकार कर हाल खसरा नम्बर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम से हटाकर मिनप्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी की ओर से साक्ष्य सपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 नानूलाल पुत्र भूरा, पीडब्ल्यू–2 नाथूराम पुत्र भूरा, पेश किया गया। जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र डीडब्ल्यू–1 श्रीमती सरोज देवी पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र, डीडब्ल्यू–2 लालचन्द पुत्र स्व0 श्री पांचूराम पेश किया गया जिरह वकील वादीगण द्वारा की गई।

पत्रावली पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद है कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा जिसके हाल परिवर्तित नंबर 141/346 रकबा 0.12 व खसरा नंबर 148 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा उर्फ देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा व अन्य भूमि खाता संख्या 17 में अंकित के हकपूर्वाधिकारी गोरू पुत्र बल्देव का देहान्त होने पर उसके कानूनी वारिसान पुत्रगण वादीगण के पिता भूरा व रामपाल, गोविन्दा, नानूराम व बालूराम पुत्रान गोरू खातेदार एवं काबिज काश्तकार रहे। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा के हकपूर्वाधिकारी वादीगण के पिता भूरा, रामपाल, गोविन्दा, नानूराम व बालूराम ने सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया। विभाजन होने के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा वादीगण के पिता भूरा पुत्र गोरू के तन्हा हक व हिस्से में आई जिस पर वह निरन्तर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के तन्हा खातेदार एवं काबिज काश्तकार होकर उपयोग–उपभोग करता रहा। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 29 की चतुर्थ सीमाओं

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

में उत्तर दिशा की ओर साबिक खसरा नंबर 25 दक्षिण दिशा की ओर 30, पूर्व दिशा की ओर 27 एवं पश्चिम दिशा की ओर ग्राम हरचन्दपुरा देवलिया की सीमा लगती हुई है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में भू प्रबन्ध विभाग ने सन् 1989 से 2009 तक की भू-प्रबन्ध कार्यवाही में भू-प्रबन्ध के कार कूनान ने गैर कानूनी तौर तरीके से मौके व कब्जे एवं पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के विपरित बिना आधार व अधिकार के साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा का परिवर्तित हाल खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 188 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर कायम किया जो कि साबिक रकबा से 0.05 हैक्टेयर कम है तथा हाल नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नंबर 141/346 की उत्तरी व पूर्वी सीमा को कमी की जाकर नवीन खसरा नंबर 141 व 187 में 0.05 हैक्टेयर भूमि क्रमश दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा की ओर शामिल कर बढा दिया ओर इस प्रकार खसरा नंबर 141 का रकबा 0.10 हैक्टेयर कायम कर प्रतिवादी संख्या एक व खसरा नंबर 187 रकबा 0.26 हैक्टेयर कामय कर प्रतिवादी संख्या दो के खाते में अंकित कर दिया गया जो पूर्णतः गलत है तथा वादीगण के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है।

वादीगण को अपने वाद में यह साबित करना था कि वादीगण के साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा की भूमि में 0.05 हैक्टेयर की की कर प्रतिवादी के खसरा नंबर में शामिल कर दी। जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-5 से यह तो स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा का मैट्रिक प्रणाली में अंकन 0.25 हैक्टेयर किया गया व हाल खसरा नंबर 141/346 रकबा 0.07 हैक्टेयर व 188 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर कायम किये गये। लेकिन वादीगण अपने वाद पत्र में यह साबित नही कर पाये है कि साबिक खसरा नंबर 29 में से कम की गई 0.05 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के अंकित की गई है। ना ही कोई दस्तावेजात पेश किया है। ना ही वादग्रस्त आराजीयात पर अपने कब्जे को साबित कर पाये है। हॉ पीडब्ल्यू-2 के दौराने गवाह ने यह स्वीकार किया है कि " जिस 5 एयर जमीन का हमने केस किया है उस पर पांचूराम का कब्जा है।" (जिरह में पृष्ठ संख्या 2 पर उपर से 7वीं लाईन)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया ज[illegible]

जहॉ तक प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम का प्रश्न है [illegible] को यह साबित करना था कि मिनप्रतिवादी 0.06 [illegible] भूमि डोसरे सेटलमेंट [illegible] वादीगण के खाते में मिनप्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 141 में से काट[illegible] खसरा नम्बर 141/346 बनाकर लगा दी गई। लेकिन प्रतिवादीगण ने भी अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजात नही किया है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि प्रतिवादीगण की 0.06 हैक्टेयर भूमि कम कर वादीगण के नाम अंकित कर दी गई हो। ना ही साक्ष्य से यह साबित हो पाया है कि प्रतिवादीगण की 0.06 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम लगी हो। ऐसे में प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम बाबत् घोषणा दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व

इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

नाथूराम

बनाम

पांचूराम वगै.

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 बाबत् घोषणा

मुकदमा नम्बर – दावा/66/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण अपने वाद व प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम साबिक नही कर पाये है। ऐसे में वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....
.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.09.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक		00	मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner